न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/417
प्रकरण संख्या 184/22

अनवान

1. श्री कन्हैयालाल पिता खुमाण गर्ग निवासी बेजरडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी कानोड, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

–: : निर्णय : :–

दिनांक :–24.01.2023

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा बेजरडा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 की खाता संख्या नया 117 में प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र खुमाण जाति ब्राह्मण दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अशुद्ध होने से प्रार्थी द्वारा अपना नाम किशनलाल पुत्र खुमाण जाति ब्राह्मण के बजाय कन्हैयालाल पुत्र खुमाण जाति गर्ग दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके तथ्य इस प्रकार है कि :–

I. यह है कि राजस्व ग्राम बेजरडा जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 117 प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र खुमाण जाति ब्राह्मण दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कन्हैयालाल पिता खुमाण जाति गर्ग है और प्रार्थी के आधार कार्ड एवं शैक्षिणक दस्तावेज में भी कन्हैयालाल पिता खुमाण जाति गर्ग दर्ज है प्रार्थी को ग्राम एवं सामाजिक स्तर पर भी कन्हैयालाल पिता खुमाण जाति गर्ग के नाम से जाना जाता है एवं ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पिता खुमाण जाति गर्ग होने का प्रमाण पत्र जारी किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:08 IST
Reason: SelfAttested

II. यह कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में किशनलाल पिता खुमाण ब्राह्मण की बजाय कन्हैयालाल पिता खुमाण जाति गर्ग दर्ज किया जाता है तो किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्रार्थी का नाम संशोधन किये जाने की अनुशंषा की गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के कथनानुसार मौजा बेजरडा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 की खाता संख्या 117 में प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र खुमाण जाति ब्राह्मण अंकित है। प्रार्थी द्वारा नाम अशुद्ध होने से दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की प्रार्थी का वास्तविक नाम कन्हैयालाल पिता खुमाण जाति गर्ग है और प्रार्थी के आधार कार्ड एवं शैक्षिणक दस्तावेज में भी कन्हैयालाल पिता खुमाण जाति गर्ग दर्ज है प्रार्थी को ग्राम एवं सामाजिक स्तर पर भी कन्हैयालाल पिता खुमाण जाति गर्ग के नाम से जाना जाता है। तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्रार्थी का नाम किशनलाल पिता खुमाण ब्राह्मण के बजाय कन्हैयालाल पिता खुमाण जाति गर्ग संशोधन किये जाने की अनुशंषा की। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड की प्रति, शैक्षणिक दस्तावेज व कार्यालय ग्राम पंचायत सारंगपुरा (भीण्डर) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया गया कि कन्हैयालाल व किशनलाल पुत्र खुमाण जाति गर्ग एक ही व्यक्ति है तथा व्यक्गित रूप से जानना बताया।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार कानोड, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, कार्यालय ग्राम पंचायत सांगरपुरा (भीण्डर) का प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बेजरडा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 की खाता संख्या नया 117 में प्रार्थी का नाम किशनलाल पिता खुमाण जाति ब्राह्मण के बजाय कन्हैयालाल उर्फ किशनलाल पुत्र खुमाण जाति गर्ग संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 24.01.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:08 IST
Reason: SelfAttested